भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3650
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

टेली-लॉ योजना

3650. श्री देवेश शाक्य :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेली-लॉ योजना के अंतर्गत फरवरी, 2025 तक बिहार और उत्तर प्रदेश में कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पैनल वकीलों और ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (बीएलई) को राज्यवार, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशिक्षण प्रदान किया है ; और

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज, मैनपुरी, औरैया और कन्नौज जिलों के निवासियों को इस योजना से लाभ हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : टेली-लॉ कार्यक्रम दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना) स्कीम का एक प्रमुख घटक है, जिसके माध्यम से हिताधिकारियों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से पैनल वकीलों से जोड़कर मुकदमे से पूर्व सलाह प्रदान की जाती है। फरवरी, 2025 तक बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में सेवा प्राप्त करने वाले हिताधिकारियों का विवरण इस प्रकार है: -

	उत्तर प्रदेश			**बिहार**			**कुल**
वित्तीय वर्ष	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	**पुरुष**	**महिला**	**कुल**	
2021-2022	92764	48781	141545	34537	30978	65515	**207060**
2022-2023	181121	164898	346019	62186	47161	109347	**455366**
2023-2024	453441	308449	761890	104852	116080	220932	**982822**
2024-2025	300673	294499	595172	59769	111771	171540	**766712**

(ख) : टेली-लॉ कार्यक्रम से जुड़े पैनल वकीलों और ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सहित पूरे देश में उनके उन्मुखीकरण के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। जबकि पैनल वकीलों के लिए प्रशिक्षण मुख्य रूप से नागरिकों को दिए जाने वाले विधिक परामर्श और सलाहकारी सेवाओं की प्रकृति पर केंद्रित है, वहीं ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) को टेली-लॉ डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन, टोल-फ्री नंबर के उपयोग और नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षण का ब्यौरा **उपाबंध 'क' में दिया गया है** ।

(ग) : लाभान्वित हुए **उत्तर प्रदेश के एटा**, **कासगंज**, **मैनपुरी**, **औरैया और कन्नौज जिलों** के निवासियों का ब्यौरा **निम्नानुसार है: -**

जिला	2022-2023		2023-2024		2024-2025	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
एटा	2359	1054	1233	1039	4449	1843
कासगंज	422	172	1222	1366	2783	2377
मैनपुरी	353	506	329	878	931	515
औरैया	231	1047	743	932	926	717
कन्नौज	335	121	1000	377	2568	843

****

<u>**उपाबंध-क**</u>

टेली-लॉ स्कीम के संबंध में, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3650 जिसका उत्तर तारीख 21.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान पैनल वकीलों और वीएलई के लिए प्रशिक्षण सत्रों की संख्या (फरवरी 2025 तक)				
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पैनल वकील	वीएलई	कुल
1	अंदमान और निकोबार द्वीप*	0	2	2
2	आंध्र प्रदेश	8	11	19
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	9	14	23
5	**बिहार**	**9**	**83**	**92**
6	चंडीगढ़*	0	2	2
7	छत्तीसगढ़	8	72	80
8	दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव*	0	0	0
9	दिल्ली	5	0	0
10	गुजरात	8	4	12
11	गोवा	1	5	6
12	हरियाणा	8	74	82
13	हिमाचल प्रदेश	8	55	63

14	जम्मू-कश्मीर	9	40	49
15	झारखंड	8	34	42
16	कर्नाटक	8	8	16
17	केरल	6	36	42
18	लद्दाख	1	1	2
19	लक्षद्वीप*	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	9	70	79
21	महाराष्ट्र	8	52	60
22	मणिपुर*	0	0	0
23	मेघालय	6	10	16
24	मिजोरम	6	33	39
25	नगालैंड	6	21	27
26	ओडिशा	8	37	45
27	पुदुचेरी	1	3	4
28	पंजाब	10	64	74
29	राजस्थान	12	14	26
30	सिक्किम*	0	0	0
31	तमिलनाडु	9	48	57
32	तेलंगाना	9	68	77
33	त्रिपुरा	6	5	11
34	**उत्तर प्रदेश**	**8**	**82**	**90**
35	उत्तराखंड	7	7	14
36	पश्चिमी बंगाल	9	68	77
	कुल	**210**	**1023**	**1228**

टिप्पणी: -
*अंदमान और निकोबार द्वीप के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को पश्चिमी बंगाल प्रशिक्षण सत्रों के साथ मिला दिया गया है।
*अरुणाचल प्रदेश के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को असम प्रशिक्षण सत्रों के साथ मिला दिया गया है
*चंडीगढ़ के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को पंजाब प्रशिक्षण सत्रों के साथ मिला दिया गया है
*दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को महाराष्ट्र प्रशिक्षण सत्र के साथ मिला दिया गया है
*सिक्किम वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को असम प्रशिक्षण के साथ मिला दिया गया है
*लक्षद्वीप के वकीलों के प्रशिक्षण सत्रों को केरल प्रशिक्षण के साथ मिला दिया गया है

****